Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 7

अप्रैल 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

प्रारूप दिशानिर्देश

अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री

बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्रियों की समस्या को सुलझा सकें, इसके लिए उन्हें और अधिक विकल्प देने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किये हैं। ये दिशानिर्देश अनर्जक आस्तियों के लिए एक ऐसा स्वस्थ गौण बाज़ार विकसित करने की दृष्टि से तैयार किये गये हैं जहां पर सिक्युरिटायज़ेशन कंपनियां तथा पुनर्निर्माण कंपनियां बीच में कहीं नहीं आतीं।

ये दिशानिर्देश दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सिक्युरिटाइजेशन/पुनर्निर्माण कंपनियों को छोड़ कर) से/को अनर्जक आस्तियां खरीदने/बेचने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे। कोई वित्तीय आस्ति जिसमें एकाधिक/कंसोर्शियम व्यवस्थाओं के अंतर्गत आस्तियां शामिल हैं, खरीद/बिक्री के लिए पात्र होगी यदि वह विक्रेता बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति/अनर्जक निवेश के रूप में दर्ज है।

खरीद/बिक्री के लिए क्रियाविधि

(क) अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में की जानी चाहिए। बोर्ड को चाहिए कि वह, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों को शामिल करते हुए नीतियां निर्धारित करे :

- वे अनर्जक आस्तियां जो खरीदी/बेची जा सकें।
- इस तरह की वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए मानदंड और क्रियाविधि
- यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन क्रियाविधि कि वित्तीय आस्ति का आर्थिक मूल्य अदायगियों तथा वसूली संभावनाओं से होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर यथोचित रूप से लगाया गया है।
- वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए निर्णय लेने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को अधिकार सौंपना।
- लेखाकरण नीति।

(ख) नीति निर्धारित करते समय बोर्ड इस बात के लिए अपनी संतुष्टि करेगा कि बैंक के पास अनर्जक आस्तियां खरीदने के लिए तथा कुशल तरीके से उनके सौदे करने के लिए उनके पास पर्याप्त कुशलाएं हैं और इससे मूल्य में वृद्धि होगी। बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस गतिविधि में शामिल होते समय खरीदार बैंक के सामने आनेवाले जोखिमों से कारगर ढंग से निपटने के लिए उनके पास यथोचित प्रणालियां और क्रियाविधियां हैं।

(ग) कोई बैंक बिना सहारे के आधार पर ही दूसरे बैंकों से/को अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री कर सकता है अर्थात् अनर्जक आस्ति से जुड़े समस्त ऋण जोखिम खरीदार बैंक को अंतरित हो जाने चाहिए। विक्रेता बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रभाव इस रूप में हो कि बैंक की बहियों से आस्ति को हटा दिया जाता है और बिक्री के बाद विक्रेता बैंक पर कोई अन्य ज्ञात दायित्व नहीं आना चाहिए।

(घ) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे बैंकों को अनर्जक आस्तियों की बिक्री के बाद उनका बेची गयी आस्ति के संदर्भ में कोई वास्ता नहीं रहता और वे बेची गयी वित्तीय आस्ति के संबंध में परिचालनगत, विधिक अथवा किसी अन्य प्रकार के जोखिम अपने ऊपर नहीं लेते। परिणामस्वरूप, इस तरह की खास वित्तीय आस्ति को किसी रूप में अथवा तरीके से ऋण संवृद्धि/चलनिधि सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

(ङ) प्रत्येक बैंक को वित्तीय आस्ति के लिए खरीदार बैंक द्वारा प्रस्तावित मूल्य के आकलन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। उसे यह निर्णय लेना चाहिए कि वह प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर दे।

(च) किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे बैंक को आकस्मिक मूल्य पर ऐसी बिक्री नहीं जानी चाहिए जिससे खरीदार बैंक द्वारा वसूली में कमी आने की स्थिति में विक्रेता बैंक को कमी के हिस्से की भरपाई करनी पड़े।

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रारूप दिशानिर्देश	
अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री	1
मानक आस्तियों का सिक्युरिटायज़ेशन	2
बैंकिंग	
आरआइडीएफ IV से VII - ब्याज की दरें	2
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना समूह ऋणों पर ब्याज दरें	3
वाणिज्यिक पत्रें के निर्गमों की रिपोर्टिंग एनडीएस प्लेटफार्म पर	3
ग्राहक सेवा	
बैंकिंग लोकपाल योजनाको लागू किये जाने की निगरानी	3
ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति	3
निधियों के देरी से जमा किये जाने के लिए मुआवजा	3
शहरी सहकारी बैंक	
परोपकारी प्रयोजनों के लिए दान	3
निदेशक जमानतदार/गारंटीकर्ता के रूप में - स्पष्टीकरण	3
व्यक्तियों/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण सीमाएं संशोधित	4
शहरी सहकारी बैंक : स्तर I पूंजी तथा स्तर II पूंजी की परिभाषाएं	4

(छ) किसी बैंक की बहियों में कोई अनर्जक आस्ति किसी दूसरे बैंकों को बिक्री के लिए तभी पात्र होगी जब वह विक्रेता बैंक की बहियों में कम से कम दो वर्ष के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में मौजूद रही हो।

(ज) बैंक दूसरे बैंकों को अनर्जक आस्तियां केवल नकद आधार पर बेचेंगे।

(झ) खरीदार बैंक द्वारा कोई अनर्जक आस्ति बेची जाने से पहले उसकी बहियों में कम से कम पंद्रह महीने के लिए रहनी चाहिए।

(ट) किसी आस्ति की निष्पादकता हैसियत इस बात से आंकी जायेगी कि आस्ति की खरीद के समय वह कितनी संभावित नकदी लेने की स्थिति में है।

(ठ) विक्रेता बैंकों को दूसरे बैंकों को बेची गयी अनर्जक आस्तियों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार स्टाफ जवाबदेही पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए।

आस्ति वर्गीकरण

- खरीदार बैंक अनर्जक आस्ति को अपनी बहियों में खरीद की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए मानक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। खरीदार बैंक की बहियों में इसी रूप में मौजूदा एक्सपोज़र का आस्ति वर्गीकरण स्थिति उस एक्सपोज़र की वसूली के रिकार्ड द्वारा संचालित होना जारी रहेगा और इस तरह से इन दोनों में फर्क हो सकता है। इसके पश्चात, खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति का निर्धारण आस्ति की खरीदारी करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह के संदर्भ में खरीदार बैंक की बहियों में वसूली के रिकार्ड पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- जहां पर खरीद/बिक्री इन दिशानिर्देशों में निर्धारित विवेकशील अपेक्षाओं में से किसी को पूरा नहीं करती, वहां खरीद के समय खरीदार बैंक की बहियों में वित्तीय आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति वैसी ही हो जैसी कि विक्रेता बैंक की बहियों में है। इसके पश्चात आस्ति वर्गीकरण स्थिति विक्रेता बैंक में अनर्जक आस्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती रहेगी।
- अनर्जक आस्ति की अदायगी समय-सारणी में कोई बदलाव/समय-सारणी में परिवर्तन/फेजिंग में परिवर्तन से खाता अनर्जक आस्ति हो जायेगा।

प्रावधानीकरण

विक्रेता बैंक के लिए

- जब कोई बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को दूसरे बैंकों को बेचता है तो उसे चाहिए कि वह हस्तांतरण पर अनर्जक आस्तियों को अपनी बहियों से निकाल दे।
- यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर अर्थात् किये गये प्रावधानों को घटाते हुए बही मूल्य पर की जाती है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामे लिख दिया जाना चाहिए।
- यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से अधिक मूल्य पर होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के खाते में कमी/हानि को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए।

खरीदार बैंक के लिए

आस्ति पर खरीदार बैंक की बहियों में उसके आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुकूल प्रावधानीकरण अपेक्षाएं लागू होंगी।

वसूलियों का लेखाकरण

अन्य बैंकों से खरीदी गयी किसी अनर्जक आस्ति के संबंध में किसी वसूली को पहले उसकी अधिग्रहण लागत से समायोजित किया जायेगा। अधिग्रहण लागत से अधिक हुई वसूलियों को लाभ के रूप में माना जायेगा।

पूंजी पर्याप्तता

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बैंक अन्य बैंकों से खरीदी गयी अनर्जक आस्तियों को 100 प्रतिशत जोखिम भार दें। यदि खरीदी गयी अनर्जक आस्ति कोई निवेश है तो उस पर बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार भी लगेगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर संबंधित अनुदेश लागू होंगे।

एक्सपोज़र मानदंड

खरीदार बैंक को खास वित्तीय आस्ति के बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) पर एक्सपोज़र की गणना करनी चाहिए। इस तरह से खरीदार बैंकों को खरीद के कारण होनेवाले बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) को एक्सपोज़र की गिनती के बाद विवेकशील ऋण एक्सपोज़र अधिकतम सीमाओं (एकल और समूह, दोनों) के पालन सुनिश्चित करने चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक्सपोज़ार मानदंडों पर संबंधित अनुदेश लागू होंगे।

प्रकटन (डिस्लोजर) अपेक्षाएं

जो बैंक अन्य बैंकों से अनर्जक आस्तियां खरीदते हैं उन्हें अपने तुलन-पत्रों केनोट्स में खरीदी/बेची गयी अनर्जक आस्तियों के ब्यौरे देने की ज़रूरत होगी।

मानक आस्तियों का सिक्युरिटायज़ेशन

रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटायज़ेशन बाज़ार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए मानक आस्तियों के सिक्युरिटायज़ेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं। दिशानिर्देशों में की गयी विनियामक ढांचा व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि -

- किसी लेनदेन को सिक्युरिटायज़ेशन के रूप में मानने के लिए उसके बाद दो चरणों में कार्रवाई लागू होगी। पहले चरण में, आस्ति की पूलिंग तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया किसी बैंकरप्ट्सी रिमोट वेहिकल में होनी चाहिए और दूसरे चरण में सिक्युरिटी हितों की रिपैकिंग और बिक्री होगी जो कि तीसरी पार्टीनिवेशकों को आस्तियों के पूल से आनेवाली नकदी को दर्शायेगी।
- सिक्युरिटायज़ेशन ढांचे में हस्तांतरित आस्तियों को विक्रेता के तुलनपत्र से हटाने के लिए यह ज़रूरी है कि आस्तियों अथवा वास्तविक बिक्री को विक्रेता अथवा मूल पार्टी (ओरिजिनेटर) से अलग करके बैंकरप्ट्सी रिमोट वेहिकल में डाल दिया जाए। जहां पर हस्तांतरित आस्तियां वास्तविक बिक्री मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं वहां आस्तियों को विक्रेता के तुलनपत्र आस्ति पर माना जायेगा और उसे उन आस्तियों के संबंध में लागू सभी लेखाकरण तथा विवेकशील मानदंडों को पूरा करना होगा।
- मूल पार्टी/विक्रेता तथा एसपीवी के बीच बिल्कुल औपचारिक संबंध बनाये रखे जायें।
- स्पेशल पर्पज़ वेहिकल को निर्धारित मानदंड पूरे करने होंगे ताकि मूल पार्टियां उनके द्वारा हस्तांतरित आस्तियों के लिए तुलनपत्र से हटाने की क्रिया को कर सकें तथा सिक्युरिटायज़ेशन ढांचे में उनके संबंधित एक्सपोज़रों के लिए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित विनियामक व्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए पास टू सर्टिफिकेट में सेवा प्रदाताओं और निवेशकों को मदद दे सकें। सिक्युरिटायज़ेशन के सभी मामलों में एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की किसी बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से रेटिंग की जानी चाहिए और इस तरह की रेटिंग को कम से कम प्रत्येक छह महीने में अद्यतन किया जाना चाहिए।

पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन, आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, आय निर्धारण तथा मूल पार्टियों के लिए प्रावधानीकरण तथा ऋण बढ़ाने वालों (क्रेडिट एनहांसर), चलनिधि सहायता प्रदान करने जैसे सेवा प्रदाताओं और साथ ही साथ निवेशकों औरसिक्युरिटायज़ेशन लेनदेनों के लिए विनियामक मानदण्डों तथा लेखाकरण व्यवस्था तथा प्रकटन मानदंडों के ब्यौरे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर दिये गये हैं।

बैंकिंग

आरआइडीएफ IV से VII - ब्याज की दरें

भारत सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरइआइडीएफ IV से VII) से 31 अक्तूबर 2003 को या उससे पहले वितरित की गयी राशियों के संबंध में उधार और जमा दरों की पुनर्संरचना की जाए। दिनांक 16 अप्रैल 2005 से प्रभावी संशोधित दरें निम्नानुसार है:

आरआइडीएफ	बैंकों को देय जमा दरे (प्रतिशत प्रति वर्ष)	
	मौजूदा	संशोधित
IV	11.5	8.0
V	11.5	8.0
VI	11.0	8.0
VII	कृषिगत उधार में कमी से संबद्ध ब्याज दर (10 और 7 प्रतिशत के बीच घटने - बढ़ने वाली)	7.5

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना समूह ऋणों पर ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत समूह ऋणों पर लगायी जाने वाली ब्याज दर ऋणों की प्रति व्यक्ति मात्रा से संबंद्ध होनी चाहिये, ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समूह ऋणों के अनुरूप गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों के बोझ को कम किया जा सके।

स्वर्णजयन्ती ग्राम योजना गरीबी कम करने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए बनाया गया भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जाता है और जो समूह दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगारयोजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा समूह ऋणों और अलग-अलग ऋणों पर लगाये जाने वाली ब्याज दरों में कुछ विसंगतियां पायी थीं।

वाणिज्यिक पत्रें के निर्गमों की रिपोर्टिंग एनडीएस प्लेटफार्म पर

यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 16 अप्रैल 2005 से सभी अनुसूचित बैंक, जो एनडीएस के सदस्य हैं और वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए आइपीए के रूप में काम कर रहे हैं, निर्गम के पूरा होने की तारीख से दो दिन के भीतर वाणिज्यिक पत्र निर्गम करने के ब्यौरे एनडीएस प्लेटफार्म पर दें।

वाणिज्यिक पत्र जारी करने की एनडीएस प्लेटफार्म पर रिपोर्टिंग के लिए पीडीओ-एनडीएस वर्शन 3.0 सॉफ्टवेयर के रूप में एक मॉड्यूल तैयार करके 2 अप्रैल 2005 को जारी किया गया है।

अलबत्ता, सभी वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम संबंधी ब्यौरों की रिपोर्ट प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रेषित करना तब तक जारी रखें जब तक एनडीएस रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के अनुसार स्थिरता नहीं प्राप्त कर लेती।

ग्राहक सेवा

बैंकिंग लोकपाल योजनाको लागू किये जाने की निगरानी

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों सूचित किया है कि उनके बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैंकिंग लोकपालों द्वारा समाधान की गयी शिकायतों के संबंध में अधिक सक्रिय भूमिका अदा करे।

ग्राहक सेवा समिति को और अधिक प्रभावी बनाने की दृषि से बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी किये गये सभी अधिनिर्णय ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखें -

- अधिनिर्णयों द्वारा प्रकट किये गये बैंकों में मौजूद प्रणालीगत कमियों से संबंधित प्रश्नों का समाधान करना;
- तीन महीने से अधिक समय तक कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णय उनके कारणों के साथ ग्राहक सेवा समिति के सामने रखना जिससे ग्राहक सेवा समिति बोर्ड के ऐसे बिना वैध कारणों के कार्यान्वयन में हुए विलंब को रिपोर्ट कर सके तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सके।

बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित शिकायतों तथा किसी बैंक और उसके ग्राहक के बीच एवं एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच के विवाद को, ग्राहक सेवा में कमियों के संबंध में समझौता, मध्यस्थता तथा विवाचन के जरिए समाधान करने हेतु शुरू की गयी थी। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के विस्तृत परीक्षण और बैंकों के अभिमतों के अवलोकन के बाद बैंकिंग लोकपाल अलग-अलग शिकायतों के संबंध में उनके निवारण के लिए अधिनिर्णय जारी करते हैं।

ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति

सार्वजनिक सेवाओं की क्रियाविधि तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर समिति (सीपीएपीएस) ने उक्त तदर्थ समितियों को जारी रखने अथवा न रखने से संबंधित मामलों की जांच करने तथा यह पाये जाने पर कि बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए एक ऐसा समर्पित केंद्र बिंदु होना चाहिए जिसके पास विभिन्न विभागों में होने वाले कार्य का मूल्यांकन करने की पर्याप्त शक्तियां हों, सार्वजनिक सेवाओं की क्रियाविधि तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर समिति ने यह सिफारिश की है कि उक्त तदर्थ समितियों को ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समितियों के रूप में परिवर्तित किया जाए।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि बैंक विद्यमान तदर्थ समितियों को ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी सूचित किया गया है कि स्थायी समिति का गठन तथा कार्य 17 अगस्त 2004 के पत्र में दर्शाए गए अनुसार किया जाए। स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित तदर्थ समितियां कार्यान्वयन प्रक्रिया को संचालित करने वाली तथा संबंधित प्रतिसूचना देनेवाली लघु स्तरीय कार्यकारिणी समिति का काम कर सकती हैं जबकि बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, किये गये कार्यों का निरीक्षण तथा उनकी समीक्षा/आशोधन का कार्य करेंगी।

निधियों के देरी से जमा किये जाने के लिए मुआवजा

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह बात दोहरायी है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा निधियों के देरी से जमा के लिए लाभार्थियों/ग्राहकों को मुआवजे का भुगतान ग्राहकों के दावे की प्रतीक्षा के बिना स्वयंप्रेरित रूप से किया जाना चाहिये।

शहरी सहकारी बैंक

परोपकारी प्रयोजनों के लिए दान

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा वर्ष के दौरान सामान्य रूप से किये जाने वाले दान कुल मिलाकर पिछले वर्ष के उनके घोषित लाभों के एक प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक सीमित होने चाहिए। रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस तरह के सामान्य रूप से किये गये दान तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रायोजित राष्ट्रीय निधियों और अन्य निधियों में किये गये दान मिलाकर वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के पिछले वर्ष के घोषित लाभों के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आयी थी कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उनकी सहायता निधि से विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़े पैमाने पर दान दिये जा रहे हैं, जिससे बैंकों के जमाकर्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले की जांच की गयी और सार्वजनिक हित तथा जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किये जानेवाले दानों को नियंत्रित करना जरूरी समझा गया।

निदेशक जमानतदार/गारंटीकर्ता के रूप में - स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंकों ने 01 अक्तूबर 2003 से पहले निदेशकों और/या उनके रिश्तेदारों की गारंटी/जमानत पर ऋण तथा अग्रिम मंजूर किए हैं वे अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करें और सुविधा की अवधि पूरी होने तक निदेशकों और/या उनके रिश्तेदारों की गारंटी/जमानत जारी रखें। अलबत्ता, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने निदेशकों और/या उनके रिश्तेदारों की गारंटी/जमानत पर किसी नयी उधार व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आपको याद होगा कि शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि निदेशक और उनके रिश्तेदार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों तथा अग्रिमों (जमानती तथा गैर-जमानती दोनों) के जमानतदार/गारंटीकर्ता नहीं बन सकते।

शुद्धिपत्र

यह स्पष्ट किया जाता है कि मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के मार्च 2005 के अंक में प्रकाशित राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा अग्रिमों के लिए विवेकशील मानदण्ड सभी राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संबंध रखते हैं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05 Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05
29 अप्रैल तथा 30 अप्रैल 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

व्यक्तियों/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण सीमाएं संशोधित

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि एकल उधारकर्ता तथा उधारकर्ताओं के समूह के मामले में विवेकपूर्ण ऋण सीमाएंसंशोधित की गयी हैं और उन्हें एकल उधारकर्ता तथा उधारकर्ताओं के समूह के मामलों में पूँजीगत निधियों के क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। विवेकपूर्ण ऋण सीमा मानदंड के प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंक अपनी टीयर तथा टीयर II पूंजी के संबंध में पूंजीगत निधियां बॉक्स में पारिभाषित किये गये अनुसार तय कर सकते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि एक्सपोज़र में अब नीचे दर्शाये गये अनुसार क्रेडिट ऋण एक्सपोज़र तथा निवेश एक्सपोज़र (गैर एसएलआर) दोनों ही शामिल होने चाहिए:

(क) निधिकृत तथा गैर-निधिकृत ऋण सीमाएं और हामीदारी तथा इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं/मंजूर सीमा अथवा बकाया, इनमें से जो अधिक हो, को ऋण सीमा का पता लगाने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(ख) गैर-निधिकृत ऋण सीमाओं के संबंध में इस प्रकार की सीमाओं अथवा बकाया, इनमें से जो अधिक हो, के 100 प्रतिशत (मौजूदा 50 प्रतिशत के स्थान पर) को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) बैंक के 14 अप्रैल 2004 के परिपत्र में दर्शाए गए अनुसार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश।

व्यक्ति/उधारकर्ताओं के समूह के लिए 1 अप्रैल 2005 से संशोधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं की गणना की जाये। अलबत्ता, मौजूदा उधारकर्ताओं के मामले में जहां बकाया अथवा मंजूर ऋण सीमा संशोधित सीमा से अधिक होती है वहां मंजूर सीमा को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि में अर्थात् 31 मार्च 2007 तक संशोधित सीमाओं के भीतर लाया जाए।

इससे पूर्व, व्यक्तिगत उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह के मामले में बैंक की पूँजीगत निधियों पर विवेकपूर्ण ऋण सीमा क्रमश: 20 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती थी।

शहरी सहकारी बैंक : स्तर I पूंजी तथा स्तर II पूंजी की परिभाषाएं

स्तर I की पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) बैंक के उन नियमित सदस्यों से प्राप्त प्रदत्त शेयर पूंजी जिन्हें मत देने का अधिकार है।

(ii) लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार निर्बाध रिज़र्व। उस आरक्षित निधि को, यदि कोई हो, जो फिक्स्ड आस्तियों के पुनर्मूल्यन से निर्मित की गयी हैं अथवा जो बाहरी देयताओं को पूरा करने के लिए निर्मित की गयी है, को स्तर I की पूंजी में शामिल नहीं करना चाहिए। निर्बाध आरक्षित निधि में प्रत्याशित ऋण हानियों को पूरा करने के लिए निर्मित सभी आरक्षित निधियों/प्रावधानों, धोखाधड़ी के कारण हुई हानियों, निवेशों और अन्य आस्तियों में हुए मूल्यह्रास और अन्य बाहरी देयताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। भवन निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित राशि यद्यपि निर्बाध आरक्षित निधि का भाग माने जाने के लिए पात्र होगी तथापि, अशोध्य एवं संदिग्ध रिज़र्व को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(iii) आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष दर्शानेवाली पूंजीगत आरक्षित निधि।

(iv) लाभ-हानि लेखा में कोई निवल अधिशेष अर्थात् देय लाभांश, शैक्षिक निधि, अन्य निधियां जिनकी उपयोगिता परिभाषित की गयी है, आस्ति की हानि, यदि कोई हो, आदि के प्रति विनियोजन करने के बाद शेष।

नोट : अगोचर आस्तियों की राशि, वर्तमान वर्ष में हुई हानियां और वे हानियां जिन्हें पिछली अवधियों से आगे लाया गया है, एनपीए प्रावधानों में कमी, अनर्जक आस्तियों पर गलती से निर्धारित आय, बैंक पर सौंपी गई देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधान आदि कोस्तर I की पूंजी में से घटा दिया जाएगा।

स्तर II की पूंजी

प्रकट न की गयी आरक्षित निधियां

इनकी विशेषता इक्विटी और प्रकट की गयी रिज़र्व निधियों के समान होती है। इनमें अप्रत्याशित हानियों को आत्मसात करने की क्षमता होती है और ये यदि संचयित लाभ दर्शाती हैं और ज्ञात देयताओं से ऋणग्रस्त नहीं होती हैं एवं सामान्य हानि या परिचालनगत हानियों को आत्मसात करने के लिए नेमी तौर पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें पूंजी में शामिल किया जा सकता है।

पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां

ये आरक्षित निधियाँ प्राय: अप्रत्याशित हानियों को सहन करने करने का काम करती हैं, लेकिन ये चूंकि कम स्थायी स्वरूप की होती हैं इसलिए इन्हें प्रमुख पूंजी नहीं माना जा सकता। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां उन आस्तयों के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न होती हैं, बैंक की बहियों में जिनका मूल्य कम आंका गया होता है। इस संबंध में इसका विलक्षण उदाहरण बैंक परिसर और बेची जा सकने वालीप्रतिभूतियां हैं। अप्रत्याशित हानियों को सहन करने के लिए पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर जिस हद तक भरोसा किया जा सकता है वह मुख्यत: संबंधित आस्तियों के बाजार मूल्य के अनुमानों की निश्चितता के स्तर, कठिन बाजार स्थितियों या किसी बाध्य बिक्री के कारण मूल्य में आयी गिरावट, उन मूल्यों के वास्तविक परिसमापन की संभावना, पुनर्मूल्यन के कर संबंधी परिणामों आदि पर निर्भर होताहै। अत: स्तर II की पूंजी में शामिल करनेके लिए पूनर्मूल्यन रिज़र्व का मूल्य निर्धारित करते समय उसके 55 प्रतिशत की छूट पर विचार किया जाना चाहिए अर्थात् पूनर्मूल्यन रिज़र्व के 45 प्रतिशत अंश को ही स्तर II की पूंजी में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी आरक्षित निधियों को पूनर्मूल्यन रिज़र्व के रूप में तुलनपत्र के मुखपृष्ठ पर दर्शायाजाएगा।

सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां

इनमें बैंक की बहियों में दर्ज सामान्य प्रकृति के प्रावधान शामिल होंगे जिन्हें पता लगायी गयी संभावित हानियों या किसी आस्ति के मूल्य में कमी या किसी ज्ञात देयता के लिए नहीं रखा गया है। ऊपर बताए गए अनुसार सामान्य प्रावधान की किसी राशि को स्तर II की पूंजी में शामिल करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि सभी ज्ञात हानियों, पूर्वाभासी संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है। उदाहरण के लिए : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए अधिक प्रावधान, मानक आस्तियों के लिए किए गए सामान्य प्रावधान को इस श्रेणी में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों को जिन्हें स्तर II की पूंजी में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है, कुल भारित जोखिम आस्तियों के 1.25 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जाएगा।

निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधियां

बैंक की निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि में शेष, यदि कोई हो।

संमिश्र ऋण पूंजीगत लिखतें

इस श्रेणी में ऐसी कई पूंजीगत लिखतें हैं जिनमें इक्विटी की कुछ विशेषताएं और ऋण की कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं। प्रत्येक के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिन पर पूंजी केरूप में उसकी विशेषता को प्रभावित करने के लिए विचार किया जा सकता है। इन लिखतों में इक्विटी के बहुत नजदीकी समानताएं होती है, विशेषत: तब जब वे परिसमापन की स्थिति पैदा किए बिना सतत आधार पर हानियों को रोकने में सक्षम होती हैं, उन्हें स्तर II की पूंजी में शामिल किया जा सकता है।

गौण ऋण

स्तर II की पूंजी में शामिल होने की पात्रता के लिए लिखतें पूर्णत: प्रदत्त, गैर-जमानती, अन्य लेनदारों के दावों की समर्थक, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त और धारक की पहल पर या बैंक के पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की अनुमति के बिना प्रतिदेय नहीं होना चाहिए। उनकी प्राय: सावधि परिपक्वता होती है और जब वे परिपक्व हो जाती हैं, तब स्तर II पूंजी में शामिल करने के लिए उन पर क्रमिक छूट दी जानी चाहिए। 5 वर्ष की प्रारंभिक परिपक्वता या जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष रह गयी है ऐसी लिखतों को स्तर II पूंजी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गौण ऋण लिखतें स्तर I के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगी।

नोट : (क) वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक ऊपर (v) और (vi) पर बतायी गयी प्रकार की लिखतें जारी नहीं करते हैं। तथापि, ऐसी लिखतों के जारी किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते वे संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम/बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन हों। ऐसी लिखतों को जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। (ख) यह नोट किया जाए कि मानदंडों के अनुपालन के लिए स्तर II के कुल घटक स्तर I की पूंजी के कुल घटकों के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**